Terms of Reference, Finance Assistant

(NHM-Finance)

National Health Systems Resource Centre (NHSRC), New Delhi on behalf of Ministry of Health & Family Welfare is seeking applications from qualified candidates for the above mentioned post purely on contractual basis.

Name of Division	NHM Finance Division
Reporting to	Director/DS (NHM-Fin), US (NHM-Fin.) & Finance Controller
Name of Position	**Finance Assistant**
Number of Positions	**One**
Location	MoHFW, New Delhi

1. Background

The PM-ABHIM is a Centrally Sponsored Scheme with some Central Sector Components, for implementation of the Atmanirbhar Bharat Package for health sector as announced by Hon'ble Finance Minister in May 2020. The objective of the scheme is to fill critical gaps in health infrastructure, surveillance and health research – spanning both the urban and rural areas and to strengthen the Public Health Infrastructure effectively and to manage and respond any future pandemics and outbreaks.

2. Objective

Finance Assistant at the central level is to monitor funds under PM-ABHIM including data entry, release of funds, expenditure, FMRs, SFPs, unspent balances, Statutory Audit, Concurrent Audit, Utilization Certificates, PFMS, conduct financial review visits and action taken by the States.

3. Scope of Work

Key Responsibilities:

i. Overall data consolidation, generation of financial MIS activity-wise, Division-wise, state-wise, quarter and year-wise and generation of comparative statements with reference to percentage of allocation, release and expenditure.
ii. Preparation of financial year wise Guard Files of sanction orders for PM-ABHIM, corresponding to the Sanction Orders and overall settlement of UCs with PAO, MoHFW.
iii. Electronic transfer of funds to the States/UTs, website updation and maintenance of centralized fund transfer data- base for all programmes under PM-ABHIM.

Other Responsibilities

i. To do Data entry of quarterly FMRs and maintaining programme/component wise data base for the allocated States/UTs for official use of all concerned.
ii. To Track receipt of Utilisation Certificates from allocated States/UTs and assist in follow up action with the States for their settlement with the PAO (MoHFW).
iii. To Track receipt of quarterly FMRs, SFPs, Statutory Audit and Concurrent Audit Reports from States/UTs, examination thereof and provide feedback to Finance Analysts, Finance Controllers and senior officers of the Division.
iv. To maintain contact with SHS/DHSs regarding progress of Statutory Audit, concurrent audit, compliance of audit observations and provide feedback to regular officers from time to time.

iv. To prepare Expenditure Statements for claiming reimbursement of eligible expenditure from Development Partners.
v. Joint Team Visits to the States/Districts for conducting finance, accounts and audit performance reviews/studies and preparing status reports with observations and recommendations for improvement.
vi. To provide training to finance & accounts staff at State, District and Block levels in general and PFMS specifically and as per inputs from JRMs, CRMs, Review Reports and Audit observations.
vii. To support Finance Controllers, Finance Analysts and the regular officers of NHM Finance Division and other Programme Divisions as and when required by them.
viii. Any other work assigned from time to time.

4. **Outputs**

Timely action on all tasks and responsibilities and provide work support to Director/DS (NHM-Finance), US (NHM-Finance), Finance Controllers and the Finance Analysts.

5. **Qualifications, Experience and Age**

M.Com. or B.Com (Hons.) or B.Com. from any recognized university.

Experience of at least 3 years in finance and accounts matters in social and private sector.

Age: The applicant should be below 45 years as on last date of receiving of applications.

6. **Travel and subsistence**

The consultant should be ready to travel extensively to State/District/Block/village levels. All travels must be authorized in advance by the Director/DS (NHM-Finance). While travelling, the consultant will receive a fixed per diem allowance for boarding/lodging expenses as per the rules of NHSRC or the GOI rules.

7. **Reporting Requirements**

The consultant will submit a report to the concerned Finance Controller at the end of every quarter.

8. **Consultancy period**

The contract will initially be for a period upto 31 March 2024. The first three months will be on a trial basis. Subject to satisfactory performance, the consultancy will continue for the full one year and the contract may further be renewed purely at the discretion of the MoHFW, GOI. The consultancy can, however, be terminated by either party by giving a notice of one month in writing.

9. **Remuneration**

The consultant will be paid a consolidated monthly remuneration in the range of Rs. 40,000/- to Rs. 70,000/- per month on the basis of qualifications and experience.

The consultant shall not be entitled to any other benefits such as subsidy, compensation or pension, except as expressly provided in the consultancy agreement. The consultant shall not be exempt from taxation and shall not be entitled to reimbursement of any taxes which may be levied as per existing rules on the remuneration received.

How to Apply:

Candidates are requested to fill the online application correctly which is available on the NHSRC website (http://nhsrcindia.org). Applications will be accepted in the prescribed online application format only. The last date for receiving applications is **23-May-2023.**

निबंधन एवं शर्तें, वित्त सहायक

(एनएचएम वित्त)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) की ओर से विशुद्ध रूप से अनुबंध आधार पर उपर्युक्त उल्लेखित पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

प्रभाग का नाम	**एनएचएम वित्त प्रभाग**
रिपोर्टिंग अधिकारी	**निदेशक/उप- सचिव (एनएचएम-वित्त), अवर सचिव (एनएचएम वित्त) और वित्त नियंत्रक**
पद का नाम	**वित्त सहायक**
पदों की संख्या	**एक**
स्थान	**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली**

1.पृष्ठभूमि

पीएम-एबीएचआईएम मई, 2020 **में माननीय वित्त मंत्रालय द्वारा यथा घोषित स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन हेतु कुछ केंद्रीय क्षेत्र घटकों सहित एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को कवर करते हुए स्वास्थ्य अवसंरचना निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना और जन स्वास्थ्य अवसंरचना को प्रभावी ढंग से सुदृढ़ करना और भविष्य में किसी भी महामारी और प्रकोप के प्रबंधन और अनुक्रिया है।**

2. उद्देश्य

केंद्रीय स्तर पर वित्त सहायक को पीएम-एबीएचआईएम के तहत निधियों की निगरानी करनी है जिसमें डेटा एंट्री, निधियों का जारी होना, व्यय, एफएमआर, एसएफपी, अव्यित शेष राशि, सांविधिक लेखा परीक्षा, समवर्ती लेखा परीक्षा, उपयोगिता प्रमाण पत्र, पीएफएमएस, वित्तीय समीक्षा दौरे आयोजित करना और राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई शामिल है।

3. कार्य क्षेत्र

मुख्य दायित्व:

i. समग्र आंकड़ों का समेकन, क्रियाकलाप- वार, प्रभाग-वार, राज्य-वार, तिमाही और वर्ष-वार वित्तीय एमआईएस का सृजन और आवंटन, जारी राशि और व्यय के प्रतिशत के संदर्भ में तुलनात्मक विवरणों का सृजन करना।

ii. पीएम-एबीएचआईएम के लिए मंजूरी आदेशों की वित्तीय वर्षवार गार्ड फाइलें तैयार करना, मंजूरी आदेशों का अनुरक्षण और पीएओ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ उपयोगिता प्रमाणपत्रों का समग्र निपटान करना।

iii. राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का इलेक्ट्रॉनिक अंतरण, वेबसाइट का उन्नयन और पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत सभी कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीकृत निधि अंतरण डाटा-बेस का अनुरक्षण करना।

अन्य दायित्व

i. तिमाही एफएमआर की डाटा एंट्री करना और सभी संबंधितों के आधिकारिक उपयोग के लिए आवंटित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम/ घटकवार डाटा बेस अनुरक्षण करना।

ii. आवंटित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति का पता लगाना और पीएओ (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) के साथ उनके निपटान के लिए राज्यों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई में सहायता करना।

iii. राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से तिमाही एफएमआर, एसएफपी, सांविधिक लेखा परीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्टों की प्राप्ति का पता लगाना, उनकी जांच करना और वित्त विश्लेषकों, वित्त नियंत्रकों और प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को फीडबैक प्रदान करना।

iv. सांविधिक लेखा परीक्षा, समवर्ती लेखा परीक्षा की प्रगति, लेखा परीक्षा टिप्पणियों के अनुपालन के संबंध में एसएचएस/डीएचएस के साथ संपर्क बनाए रखना और समय-समय पर नियमित अधिकारियों को फीडबैक प्रदान करना।

v. विकास साझेदारों से पात्र व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए व्यय विवरण तैयार करना।

vi. वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा निष्पादन समीक्षा/अध्ययन करने और सुधार के लिए टिप्पणियों और सिफारिशों के साथ स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए संयुक्त दल का राज्यों/जिलों का दौरा करना।

vii. सामान्य रूप से और विशेष रूप से पीएफएमएस तथा जेआरएम, सीआरएम, समीक्षा रिपोर्ट और लेखा परीक्षा टिप्पणियों के इनपुट के अनुसार राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर वित्त और लेखा कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

viii. **वित्त नियंत्रकों, वित्त विश्लेषकों और एनएचएम वित्त प्रभाग और अन्य कार्यक्रम प्रभागों के नियमित अधिकारियों को उनके द्वारा आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करना।**

ix. **समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।**

4. आउटपुट

सभी कार्यों और दायित्वों पर समय पर कार्रवाई करना और निदेशक/ उप सचिव (एनएचएम- वित्त), अवर सचिव (एनएचएम- वित्त) वित्त नियंत्रक (कों) और वित्त विश्लेषक (कों) को कार्य में सहायता प्रदान करना।

5. अर्हता, अनुभव और आयु सीमा

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.कॉम या बी.कॉम (ऑनर्स) या बी.कॉम।
सामाजिक और निजी क्षेत्र में वित्त और लेखा मामलों में कम से कम 3 **वर्ष का अनुभव।**
आयु सीमा: आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 45 **वर्ष से कम होनी चाहिए।**

6. यात्रा और निर्वाह

परामर्शदाता को राज्य/जिला/ब्लॉक/गांव स्तरों पर बड़े पैमाने पर यात्रा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सभी यात्राएं निदेशक/ उप- सचिव (एनएचएम वित्त) द्वारा अग्रिम रूप से अधिकृत होनी चाहिए। यात्रा के दौरान परामर्शदाता समकक्ष पदों के लिए एनएचएसआरसी के नियमों या सरकारी नियमों के अनुसार बोर्डिंग/ लॉजिंग खर्चों के लिए एक निश्चित प्रति दिन भत्ता प्राप्त करेगा।

7. अपेक्षित रिपोर्टिंग

परामर्शदाता प्रत्येक तिमाही के अंत में संबंधित वित्त नियंत्रक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

8. परामर्श अवधि

प्रारंभ में, अनुबंध 31 मार्च 2024 **तक की अवधि के लिए होगा। पहले तीन महीने परीक्षण के आधार पर होंगे। संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन, परामर्श पूरे एक वर्ष तक जारी रहेगा और अनुबंध को पूरी तरह से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के विवेक पर नवीनीकृत किया जा सकता है। हालांकि, परामर्श को लिखित में एक महीने का नोटिस देकर किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त किया जा सकता है।**

9. पारिश्रमिक

परामर्शदाता को अर्हता और अनुभव के आधार पर प्रति माह 40,000/- **रू. से** 70,000/- **रू. की सीमा में एक समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।**

परामर्शदाता समझौते में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई राशि के अलावा, किसी भी अन्य लाभ जैसे सब्सिडी, मुआवजे या पेंशन का हकदार नहीं होगा।परामर्शदाता को कराधान से छूट नहीं दी जाएगी और वह प्राप्त पारिश्रमिक पर मौजूदा नियमों के अनुसार लगाए जा सकने वाले किसी भी कर की प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

आवेदन करने के लिए:

उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन सही तरह से भरने का आग्रह किया जाता है जो एनएचएसआरसी की वैबसाइट (http://nhsrcindia.org) पर उपलब्ध है। आवेदन केवल निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप में होने पर ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 **मई** 2023 है।